Samyak
An Institute For Civil Services

RAS - 23 MAINS TEST SERIES

VIJAY – 024

Time : 3 Hours **Maximum Marks : 200**

लोक प्रशासन एवं प्रबंधन की अवधारणाएँ
Concepts, Issues and Dynamics of Public Administration and Management

Name :		MARKS		
Enroll. No.:		Part	Attempted Questions	Marks Obtained
Date of Birth :		Part - A	22	24
Medium : हिन्दी		Part - B	16	42½
Email :		Part - C	7	32
Exam Date : 03/12/23		Total	45	98½
Inviligators Signature :				
ECN:	**RCN:**	**Hindi:** 00	**English:**	

अनुदेश (Instructions)

1. परीक्षा शुरू होने से पहले पुस्तिका को जाँच लें।
   Please check the booklet before commencement of the exam.
2. दिये गये रिक्त स्थान में निर्देशित शब्द सीमा में उत्तर दें।
   Write the answers according to the prescribed word limit, in the space given.
3. अंक योजना प्रत्येक खंड के प्रारम्भ में दी गई है।
   The marking scheme is given at the start of every section.
4. परीक्षा के पश्चात् उत्तर पुस्तिका हॉल अधीक्षक को सौंप दें।
   Return the answer booklet to the hall superintendent after completing the paper.

SAMYAK, Near Riddhi Siddhi, Gopalpura Bypass, Jaipur, 9875170111
Test Series Helpline & Whatsapp - 9414988860, Email Id - samyaktestseries@gmail.com

	REVIEW PARAMETERS	SCALE			
		Good	Above Average	Average	Below Average
1.	DOES THE ANSWER ADDRESS THE DEMAND OF THE QUESTION?				
a.	**Answer Relevancy**				
b.	**Answer Enrichment** points like use of: · **Key Terms/** Subject Vocabulary. Use of Commission/ report/ government publication/ judgements, etc. **Association with the Current Affairs** and **use of examples** to explain the concept and idea				
2.	HOW WELL IS THE ANSWER PRESENTED?				
a.	**Structure** - Intro, Body, Conclusion				
b.	**Presentation** – Using Subheadings/ points/ highlighting/ flowcharts/ diagrams/ maps				
c.	**Language & Grammar**				
d.	**Word limit**				

Detailed Comments / Feedback / Suggestions for Improvement
विस्तृत टिप्पणियाँ/फीडबैक/सुधार के लिए सुझाव :-

1. → सभी प्रश्नों को हल करें।
2. → छोटे प्रश्नो मे तथ्यो को और समावेश करे साथ ही
3. गलत तथ्यों को ना लिखे व बिन्दु रूप मे उत्तर
4. देवे
5. → मध्यम प्रश्नो में प्रश्न के भाव को समझकर उत्तर
6. देवे संविधान के प्रावधानो का उल्लेख करे कोशिश
7. करे उत्तर स्पष्ट व बिन्दुरूप मे लिखे
8. बड़े प्रश्नो मे प्रस्तुतीकरण सुधारे साथ ही
9. लेखन भी सुधारे।
10. – हिन्दी भाग को भी हल करे।
11.

SAMYAK, Near Riddhi Siddhi, Gopalpura Bypass, Jaipur, 9875170111
Test Series Helpline & Whatsapp - 9414988860, Email Id - samyaktestseries@gmail.com

Samyak
An Institute For Civil Services

(3)

Comment

Note : Answer the following questions in 15 words. Each question carries 2 marks.
नोट : निम्न प्रश्नों के उत्तर 15 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है।

1. प्राक्कलन समिति की सदस्य संरचना व मूल कार्य बताइए।
Mention the composition and basic functions of the Estimates Committee.

प्राक्कलन समिति मे कुल 15 सदस्य होते है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष का (1 मई - 30 अप्रेल) होता है अध्यक्ष - पीठासीन अधिकारी द्वारा नियुक्त

कार्य - बजट अनुमानो की जांच करना व मितव्ययता हेतु उपयुक्त सुझाव देना

2. राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 में 'सूचना एवं सुगम केन्द्र' से क्या तात्पर्य है?
What is meant by Information and 'Sugam Kendra' in the Rajasthan Right to Hearing Act 2012?

इस अधिनियम के तहत प्रत्येक सरकारी विभाग को एक सुचना व सुगम केंद्र की स्थापना करनी होगी जो नागरिकों से शिकायत प्राप्त करेगा तथा उपयुक्त सुचना व सलाह प्रदान करेगा। यह समाज मे पारदर्शिता लाने का अच्छा उपाय है।

3. ''सरकार का आदर्श नियोक्ता' अवधारणा से आप क्या समझते हैं ?
What do you understand by the concept 'Ideal Employer of Government'?

4. निदेशालय एवं आयुक्तालय व्यवस्था का अंतर स्पष्ट कीजिए।
Explain the difference between Directorate and Commissionerate system.

आयुक्तालय	निदेशालय
→ यह नीति निर्माण से संबद्ध	– नीति क्रियान्वयन मुख्य कार्य
→ इसमें सचिव, उपसचिव आदि पदाधिकारी कार्यरत	→ निदेशक, महानिदेशक आदि पदाधिकारी
→ सामान्यज्ञों की बहुलता	– विशेषज्ञों की बहुलता

सचिवालय ↓ आयुक्तालय ↓ निदेशालय
दोनों के बीच की कड़ी

5. राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 में वर्तमान में कितने विभागों की कितनी सेवाएँ शामिल हैं ?
At present, how many services of how many departments are included in the Rajasthan guaranteed delivery of public Services Act. - 2011 ?

प्रारम्भ में इसमे 15 विभागों की 108 सेवाएँ शामिल थी लेकिन वर्तमान 27 विभागों की 287+ सेवाएँ इसमे शामिल है।

6. 'राज्य निर्वाचन आयोग' के कार्य स्पष्ट कीजिए।
Explain the functions of 'State Election Commission'.

i) प्रत्येक चूनाव से पूर्व जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत नयी मतदाता सूची तैयार करवाना
ii) राजनीतिक दलों से आचार संहिता का पालन
iii) चूनाव प्रसार हेतु दूरदर्शन आदि पर दलों मे समय आवंटन
iv) चूनाव से सबंधित विवादों के त्वरित निवारण हेतु अधिकारीयों की नियुक्ति

स्थानीय निकाय के चुनावों से संबंधित

7. ग्राम प्रशासन में 'पटवारी' की भूमिका को स्पष्ट कीजिए-
Explain the role of 'Patwari' in village administration.

ग्राम प्रशासन की मूलभूत इकाई, ग्राम के अन्तर्गत आने वाले लगभग 2000 काश्तकारों का विवरण, भू अभिलेख तैयार, जन्म-मृत्यु पंजीकरण, आपदा के समय सहायता कार्य, भूराजस्व एकत्र व तहसील मुख्यालय पर जमा।

(1)

भूमि सुधार मे सहयोग करना ग्रामीण विकास व राजस्व अभिलेख से संबंधित महत्वपूर्ण भूमिका

8. 'प्रदत्त विधायन' की अवधारणा।
The concept of 'Delegated legislation'.

वर्तमान मे संसद व्यस्त कार्य प्रक्रिया के कारण कानून की केवल रूपरेखा तय कर देती है। तथा इसके तहत नियम व उपनियम के निर्माण का अधिकार कार्यपालिका को सौंप देती है। इसे ही प्रदत्त विधायन कहते हैं।

(1)

मे कार्य विधायिका के तकनीकी ज्ञान व समय अभाव के कारण देते है

9. राज्यपाल द्वारा विधानपरिषद् में सदस्यों के मनोनयन के संबंध में क्या प्रावधान है ?
What is the provision regarding the nomination of the members to the Legislative Council by the Governor?

राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या के $\frac{1}{6}$ सदस्यों को मनोनित कर सकता है। जिन्होने साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता आदि के क्षेत्र मे सराहनीय कार्य किया हो। तथा जो सदस्य बनने की योग्यता भी रखते हो।

(1)

ये राज्यपाल की विधायी शक्ति के तहत है

10. राज्य मानवाधिकार आयोग की संरचना।
Composition of the State Human Rights Commission.

(1)

बहुसदस्यीय निकाय - तीन सदस्य - i अध्यक्ष - उच्चन्यायालय का सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश । आ. न्यायाधीश
ii) उच्चन्यायालय का न्यायाधीश या सेवानिवृत न्यायाधीश
ii) जिला न्यायाधीश - 7 वर्ष का अनुभव
iii) मानवाधिकारों के विस्तृत अनुभव वाला व्यक्ति
सदस्यों मे एक महिला का होना अनिवार्य

11. भू-राजस्व अधिकारी के रूप में उपखंड अधिकारी के कार्यों का उल्लेख कीजिए।
Mention the functions of a Sub-Divisional Officer as a land revenue officer.

i) भू अभिलेख तैयार करना,
ii) तहसीलदार, भूनिरीक्षक, पटवारी, कानूनगो आदि के कार्यों का पर्यवेक्षण व निरीक्षण
iii) सरकारी सम्पत्ति पर अतिक्रमण रोकना
iv) भूमि विवाद निपटान (प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी के रूप में)

(1½)

12. भारत में लोक प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण की किन्हीं दो सीमाओं को स्पष्ट कीजिए।
Explain any two limitations of parliamentary control over public administration in India.

i) संसद सतत रूप से सत्र मे नही रहती इसलिए नियंत्रण सतत नहीं।

(1)

ii) संसद सदस्य साधारण नागरिक अतः प्रशासन की तकनीकी व जटिल शब्दों की जानकारी नहीं।

मार्च 2000 से कार्य प्रारंभ

राजस्व न्यायालय की भाँति पीठासीन अधिकारी कृषि उत्पादन व भू-राजस्व हेतु निर्देश करना

संसद सदस्य दलीय राजनीति के संकीर्ण दायरे से बाहर नहीं होते

13. लोक प्रशासन पर नियंत्रण के तीन प्रमुख स्वरूप कौन-कौन से है?
What are the three main forms of control over the public administration?

विधायिका/संसदीय – बजट, विधान निर्माण, संसदीय प्रतिनिधियों

न्यायिक – न्यायिक उपचार व निर्वचन, रिट, जनहित याचिका

कार्यपालिका – मंत्री उत्तरदायित्व सिद्धांत, कार्य नियमों का निर्माण

(1½)

विधायी नियंत्रण
कार्यपालिका नियंत्रण
न्यायिक नियंत्रण

14. राज्य सचिवालय का पद सोपान क्रम स्पष्ट करें।
Explain the Hierarchy of the State Secretariat.

प्रशासनिक	राजनैतिक
मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
शासन सचिव	कैबिनेट मंत्री
अतिरिक्त सचिव	राज्य मंत्री
विशिष्ट सचिव	उपमंत्री
उपसचिव	संसदीय सचिव

अति. मु. सचिव
प्रमुख सचिव
सचिव
संयुक्त सचिव

(1)

15. शून्य काल
Zero Hour

प्रश्नकाल के बाद का । समय, इसमें प्रश्न पूर्वनिर्धारित नहीं होते, मंत्री का जवाब देना भी अनिवार्य नहीं, भारतीय परम्परा की खोज, प्रक्रिया में उल्लेख नहीं।

(1)

प्रारम्भ – 1962 से
सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर चर्चा
राज्य सभा में शुन्यकाल से ही सदन की कार्यवाही प्रारम्भ

Comment

16. राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के उद्देश्य लिखिए।
Write objectives of Rajasthan guranteed delivery of public Services Act 2011.

→ नागरिकों को समयबद्ध रूप से सेवाओं का वितरण

→ प्रशासनिक पारदर्शिता व कुशलता सुनिश्चित करना

जवाबदेहिता बढ़ाना

(1)

भ्रष्टाचार मुक्त करना

17. राज्य मानवाधिकार आयोग की किन्हीं दो कमियों को स्पष्ट कीजिए।
Explain any two shortcomings of State Human Rights Commission.

i) सलाहकारी प्रवृत्ति

ii) खुद का अन्वेषण तंत्र नहीं

iii) 1 वर्ष से पुराने मामलों की जांच नहीं।

(1)

दोषी को दण्ड व पीड़ित को सहायता नहीं दे सकता

18. आपदा प्रबंधन में जिलाधीश की भूमिका को स्पष्ट कीजिए-
Explain the role of District Magistrate in disaster management.

i) बाढ़, सूखा, अतिवृष्टि आदि के समय जिला प्रशासन का आपदा अधिकारी के रूप में नेतृत्व

ii) आपदा राहत अनुमानित रिपोर्ट सरकार को भेजना

(1/2)

विभिन्न विभागों के मध्य समन्वयन करना

- राहत कार्यों के लिए कोष आयोजित करना
- आपदा के समय प्रभावित क्षेत्र में भोजन, दवाई व अन्य सामग्री उपलब्ध करवाना

19. 'उत्प्रेषण' और 'प्रतिषेध' रिट याचिकाओं में अंतर समझाइए।
Explain the difference between 'Certiorari' and 'Prohibition' Writ Petitions.

उत्प्रेषण	प्रतिषेध
• न्यायपालिका द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने पर रिकॉर्ड को अपने पास मंगा लेना	→ अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने पर रोकना

1/2

उत्प्रेषण मे अधिकार क्षेत्र अतिक्रमण को रोकने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रोकने हेतु

20. 'राज्य निर्वाचन आयुक्त' और 'राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी' में अंतर बताइए।
Differentiate between 'State Election Commissioner' and 'State Chief Electoral Officer'.

संवैधानिक पद

राज्य निर्वाचन आयुक्त – नियुक्ति – राज्यपाल

राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी – नियुक्ति राष्ट्रपति (1)

IAS

अध्यक्ष – राज्य निर्वाचन आयुक्त ही होता है

21. राजस्थान में किन पदाधिकारियों के विरूद्ध लोकायुक्त को शिकायत नहीं की जा सकती?
Against which officials in Rajasthan complaint cannot be made to Lokayukta?

मुख्यमंत्री, राज्यपाल, महालेखाकार, सेवानिवृत्त लोकसेवक, RPSC के अध्यक्ष व सदस्य, उच्च न्यायालय के सभी अधिकारी निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्य आदि। (1)

वार्ड पंच, सरपंच, विधायक

विधानसभा सचिवालय के कर्मचारी

Samyak
An Institute For Civil Services

(10)
Comment

22. जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के कार्यों को उल्लेखित कीजिए-
Mention the functions of the Public Deprivation Allegation Redressal Committee-

0

23. राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के संदर्भ में 'परिहार' से क्या तात्पर्य है ?
What is meant by 'Pardoning' with reference to the judicial powers of the Governor?

परिहार से आशय है। सजा की कठोरता को ना बदलते हुए उसकी अवधि को कम करना।
जैसे : 10 साल के कठोर कारावास को 5 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना।

2

24. प्रशासनिक विभाग और कार्यकारी विभाग का अंतर स्पष्ट कीजिए।
Explain the difference between administrative department and executive department.

0

Comment

25. राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 में 'परिवाद' से क्या तात्पर्य है ?
What is meant by 'complaint' in the Rajasthan Right to Hearing Act 2012?

परिवाद से तात्पर्य शिकायत से है। तथा शिकायत करने वाले को परिवादी शब्द से परिभाषित किया है।

1/2

किसी योजना या कार्यक्रम जो सरकारी है कि उचित व समय पर पहुँच नहीं होने पर लोक सूचना अधिकारी को शिकायत करना ही परिवाद

Note : Answer the following questions in 50 words. Each question carries 5 marks.
नोट : निम्न प्रश्नों के उत्तर 50 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है।

1. 'राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है।' टिप्पणी कीजिए।
'Executive powers of the Governor are exercised by the Chief Minister.' Comment.

संसदात्मक शासन व्यवस्था मे संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल व वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री ही होता है। इसलिए औपचारिक रूप से सभी कार्य जो राज्यपाल के नाम से किये जाते हैं। उनके पीछे मुख्य सलाहकार मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद् ही होती हैं क्योंकि यह सलाह राज्यपाल के लिए बाध्यकारी होती है। (ना स्वविवेक के)। इसलिये वास्तव मे राज्यपाल की शक्तियो का प्रयोग मुख्यमंत्री द्वारा ही किया जाता है। जैसे संवैधानिक व वैधानिक नियुक्तियां। विभिन्न अध्यादेशो का निर्माण, विभिन्न कल्याणकारी नीतियो व योजनाओं, विधान निर्माण आदि के कार्य मूलतः मंत्रिपरिषद् व मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है।

2

राज्यपाल की अनु-154 के तहत कार्यकारी शक्ति
महाधिवक्ता
RPSC अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति
राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति
विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति

Comment

2. राज्य में लोकायुक्त व्यवस्था नख-दंत विहीन प्रतीत होती है - व्याख्या करें।
The Lokayukta system in the state appears to be toothless - explain.

(2)

लोकायुक्त संस्था की स्थापना के एक उच्च लक्ष्य भ्रष्ट निवारण के रूप मे रखा गया लेकिन उसी अनुपात मे उसे शक्तियाँ व अधिकार नही दिये गये है। इसलिए विद्वानो द्वारा उसे दंत विहिन चीता की संज्ञा इसके नख-दंत विहिन होने के अनेक कारण है। जैसे i) मुख्यमंत्री सहित अनेक विभागो (RPSC, निर्वाचन आयोग) को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। ii) इसका स्वयं का कोई जांच तंत्र नही है। इसलिए जांच कार्य के लिए अन्य सरकारी संस्थाओ का पर्याप्त सहयोग नही। iii) जांच कार्य तब ज्यादा मुश्किल जब भ्रष्टाचार के मामले सरकार से जुड़े हो और लोकायुक्त स्वायत्त संस्था नही है। iv) इस संस्था का जनता के मध्य पर्याप्त प्रचार प्रसार भी नही किया गया है लोग इस अधिनियम के प्रावधानो से अनभिज्ञ है।

CAG / महालेखाकार / विधायक / सरपंच / इन्हें / ने / दायरे / संसद के / उत्तर / चर्चा / नहीं

3. विकास प्रशासन में जिला प्रशासन की भूमिका को रेखांकित कीजिए।
Outline the role of district administration in development administration.

केन्द्र सरकार व राज्य सरकारो की समस्त विकासात्मक कार्यक्रम व योजनाओ का क्रियान्वयन जिला स्तर पर ही सुनिश्चित होता है। जिला स्तर पर सभी विभागो की क्षेत्रीय इकाई अपने विशिष्ट क्षेत्र के विकासात्मक दायित्वो का निर्वहन करते हुए कार्यरत रहती है। जिनके मध्य समन्वय, निर्देशन व नियमन का कार्य जिला प्रशासन द्वारा ही किया जाता है। विकास प्रशासन के लक्ष्य लक्ष्योन्मुखी परिणामोन्मुखी प्रशासन के लक्ष्य जिला प्रशासन के सुदृढ़ीकरण द्वारा ही सम्भव होते है।

(2)

और / जनजाति / शिक्षा / का / अधिकार / निवारण / हेतु / पंचायत / राज व्यवस्था / की / सुधार / संघीयता / की / करना

Samyak
An Institute For Civil Services

Comment

4. पुलिस कमिश्नर प्रणाली के लाभों को उल्लेखित कीजिए।
Mention the advantages of police commissionerate system.

पुलिस कमिश्नर प्रणाली के अन्तर्गत जिलाधिकारी से कानून व व्यवस्था संबंधी दायित्व पृथक कर दिये जाते हैं। तथा ये दायित्व पूर्णतया पुलिस कमिश्नर के अन्तर्गत आ जाते हैं।

लाभ :- i) जिलाधिकारी के कार्यभार में कमी जिससे वह अपनी पूर्ण क्षमता विकासात्मक कार्यों में लगा पाता है।

ii) कानून - व्यवस्था का कार्य पूर्णतया अलग व स्वतंत्र विभाग होने के कारण बेहतर कार्य निष्पादन।

iii) बड़े शहरों में प्रशासन के सुचारु संचालन में सहायक

इस कारण जोधपुर व जयपुर में कमिश्नर प्रणाली लागू

पु. कमिश्नर को धारा -144 लागू करने की शक्ति मिल जाती है
- हथियार के लाइसेंस जारी करने अधिकार प्राप्त हो जाता
- जिला कलेक्टर के नियामकीय कार्यों से मुक्त हो जाता है

2

5. राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए।
Describe the main provisions of Rajasthan guaranteed delivery of public Services Act. 2011.

→ इस अधिनियम के तहत नागरिकों को समयबद्ध रूप से सेवा वितरण की गारंटी

→ प्रत्येक विभाग में सूचना व सहायता केन्द्र की स्थापना।

→ सेवा उपलब्ध नहीं होने पर 30 दिन में प्रथम अपील अधिकारी को व 60 दिन में द्वितीय अपील अधिकारी को अपील।

→ अपील के लिये कोई शुल्क नहीं।

→ द्वितीय अपील अधिकारी को सेवा उपलब्ध नहीं कराने वाले अधिकारी पर 500 से 5000 तक जुर्माना लगाने का अधिकार (जुर्माना वेतन से वसूल)

→ जिला कलेक्टर, रीजनल अधिकारी आदि की अपील अधिकारी के रूप में तैनाती।

27 विभागों की 287 सेवाएं
दण्ड कारी प्रावधान है।

$2\frac{1}{2}$

6. जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका में अंतर समझाइए।
Explain the difference between the role of District Collector and District Magistrate.

जिला कलेक्टर	जिला दंडाधिकारी
→ इसमे यह भूराजस्व कार्य, विकासात्मक व विभागीय समन्वय का कार्य करता है।	→ इसके तहत वह विभिन्न कानूनो के उल्लंघन पर दण्ड देता है जैसे ट्रेड एक्ट व कम्पनी एक्ट तहत दण्ड
→ योजनाओ व कार्यक्रमो का क्रियान्वयन	→ पुलिस थानो व चौकियो का निरीक्षण
→ सार्वजनिक वितरण प्रणाली आपूर्ति कर्ता	→ कारागारो का निरीक्षण निरीक्षण
→ निर्वाचन के दौरान मुख्य जिला निर्वाचन अधिकारी	→ कानून व व्यवस्था बनाये रखना
→ जिले मे राज्य सरकार का मुख्य अभिकर्ता	→ लाइसेंस जारी करना (शस्त्र, होटल आदि)
→ मुख्य जनगणना अधिकारी	→ भूराजस्व विवादो का निपटारा
→ आपदा प्रबंधन एक्ट-2005 के तहत जिला आपदा अधिकारी।	→ कैदियो को पैरोल

स्थानीय अधिनियम लागू करना
राजस्व न्यायिक का निर्णय
(3)
शांति व्यवस्था हेतु धारा 144 लागू करना

7. लोकायुक्त के पद पर नियुक्ति संबंधी अनिवार्य योग्यताएँ बताते हुए लोकायुक्त के किन्हीं चार कार्यों को स्पष्ट कीजिए।
Explain any four functions of Lokayukta, stating the essential qualifications for appointment to the post of Lokayukta.

लोकायुक्त योग्यताएं :- अध्यक्ष हेतु उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश। कार्य (3)

सदस्य –
1 → उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश
2 → 7 वर्ष के अनुभव वाला जिला न्यायाधीश
3 → मानवाधिकार मामलो का जानकार

* सदस्यो मे एक महिला का होना अनिवार्य

भारत का नागरिक हो

कार्य → i) मंत्रिपरिषद व लोकसेवको के भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतो की जांच

ii) राज्य नियोजन मे लगा हुआ कोई नियोक्ता के भ्रष्टाचार की जांच

iii) सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958, सरकारी कम्पनी आदि मे भ्रष्टाचार की जांच

iv) 5 वर्ष से कम पुराने भ्रष्टाचार आदि के मामलो को देखना।

v) दण्ड व क्षतिपूर्ति की सरकार को अनुशंसा।

न्यायिक व स्वतः न्याय करना है

Samyak
An Institute For Civil Services

(15)

Comment

8. प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के किन्हीं पांच उपकरणों को समझाइए।
Explain any five instruments of parliamentary control over administration.

(3)

प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के चार उपकरण निम्नांकित है।

i) बजट प्रक्रिया - इसके माध्यम से संसद सरकार के खर्चों का नियंत्रण करती है। इसी मे आलोचना, निंदा व कटौती प्रस्तावो द्वारा मुख्यतः नियंत्रण करती है।

ii) विधान निर्माण - संसद विधि, नियमो के निर्माण कर प्रशासनिक कार्य व्यवहारो को नियमित करती है। साथ ही आचार संहिता का भी निर्माण

iii) संसदीय गतिविधिया - प्रश्नकाल, शून्यकाल, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आदि द्वारा नियंत्रण

iv) उत्तरदायित्व का सिद्धांत - मंत्रीपरिषद सामूहिक रूप से संसद (लोकसभा) के प्रति उत्तरदायी होती है। राजनीतिक कार्यपालिका पर दोहरा नियंत्रण

- राष्ट्रपति का अभिभाषण
- विनियोग विधेयक
- प्रदत्त विधायन
- प्रश्नकाल
- संसदीय समिति

9. प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण की कौन-कौन सी सीमाएँ दृष्टिगत होती है ?
What are the limits of judicial control over administration?

न्यायपालिका प्रशासन की कार्यवाहियो की वैधानिकता सुनिश्चित करके नियंत्रण करती है। लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएँ है।

i) न्यायपालिका घटना के घटित होने के बाद न्यायिक उपचार के रूप मे है। यह घटना को घटित होने से नही रोक सकती (पोस्टमार्टम की तरह)

ii) वर्तमान मे प्रशासनिक गतिविधिया जटिल व तकनीकी हो गयी है। अतः तकनीकी योग्यता के अभाव मे जज उपयुक्त निर्णय नही ले पाते

(2½)

iii) न्यायिक कार्यप्रणाली अत्यधिक जटिल, खर्चीली व समय लगाने वाली है।

iv) अनेक प्रशासनिक कार्यवाहियो को न्यायपालिका के क्षेत्र से बाहर रखा गया है।

v) न्यायपालिका पहले से ही अत्यधिक कार्यभार से पीड़ित है। (लगभग 3 करोड़ केस लंबित)

- न्यायिक प्रक्रिया धीमी
- कुछ मामलो मे प्रशासनिक न्यायालय के हस्तक्षेप से इंकार
- प्रशासनिक तकनीकी के मामलो मे कुछ रोग

Samyak
An Institute For Civil Services

Comment

10. राजस्थान में प्रशासन के ढ़ाँचे में संभागीय आयुक्त के पद की भूमिका स्पष्ट कीजिए।
Explain the role of the post of Divisional Commissioner in the structure of administration in Rajasthan.

2½

संभागीय आयुक्त - जिला प्रशासन व राज्य सचिवालय के मध्य सम्पर्क की महत्वपूर्ण कड़ी है। इस पद को कार्यात्मक दायित्व की जगह निरीक्षकीय जिम्मेदारियां दी गई है। इनका मुख्य कार्य जिला प्रशासन पर नियंत्रण निर्देशन व संभाग के अन्तर्गत आने वाले जिला प्रशासनों के मध्य समन्वय करना है। यह जिलाधिकारी से वार्षिक व अर्द्धवार्षिक रूप से प्रशासन संबंधी रिपोर्ट प्राप्त करता है। व तहसीलदारों, उपखण्ड अधिकारी आदी भूराजस्व कर्मियो से भूराजस्व संबंधी कार्य प्रगति रिपोर्ट भी लेता है जैसे भूमि सीलिंग कानून, राज. वन अधिनियम आदि के क्रियान्वयन।

(Comment: जिला प्रशासन पर पर्यवेक्षण रखना राज्य व जिले के मध्य समन्वय स्थापित - जिला)

11. 'राज्य मानवाधिकार आयोग एक कागजी संस्था है'। इस कथन का परीक्षण कीजिए।
'State Human Rights Commission is a paper organization'. Examine this statement.

राज्य मानवाधिकार आयोग को 18 जनवरी 1999 को मानवाधिकार अधि. 1993 की धारा 21(1) के तहत मानव अधिकारों की संरक्षण संस्था के रूप में गठित [मार्च] लेकिन इसकी उपलब्धियों को देखते हुए यह एक कागजी संस्था के रूप ही दिखती है, क्योंकी यह सलाहकारी प्रकृति का संगठन है। इसकी अनुशंसाऐं सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती है। इसलिए अक्सर सरकार द्वारा इनकी अनदेखी की जाती है। इसके अतिरिक्त यह जांच के लिये अन्य संस्थाओं की सहायता लेती है। इसका स्वयं का कोई अन्वेषण तंत्र नहीं है। इससे इसकी उपयोगिता पर प्रश्न। यह किसी अधिकारी के मानवाधिकार उल्लंघन पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है। और नहीं पीड़ित को क्षतिपूर्ति। केवल सरकार को अवगत करवा सकती है।

3

(Comment: कार्य प्रारम्भ मार्च 2000 इसके पास वित्त का अभाव - लेखक सुझाव बिन्दु रूप में लिखते तो बेहतर रहता)

12. राज्य के प्रशासन में राज्य सचिवालय की क्या भूमिका है ? समझाइए।
What is the role of the State Secretariat in the administration of the state? Explain.

2½

राज्य सचिवालय राज्य की मुख्य संचालन इकाई है। सिद्धांतत: तो नीति निर्माण मंत्रिपरिषद का कार्य है लेकिन व्यवहार मे यह कार्य सचिवालय मे ही सम्पन्न होता है। यहीं से सरकारी योजनाओ व कार्यक्रमो, राज्यपालो के अध्यादेशो, सरकारी विधेयक आदि की रूपरेखा तय होती है। सचिवालय के अन्तर्गत सभी विभाग काम करते है जिनके उपर शासन सचिव के माध्यम से सचिवालय समन्वय, नियन्त्रण व निर्देशन करता है। सचिवालय से ही विभिन्न जिला प्रशासनो व संभागीय आयुक्तो का समन्वयन होता है। नीति क्रियान्वयन संबंधी निगरानी भी मंत्रिगण सचिवालय की सहायता से ही कर पाते है। बजट निर्माण के लिए आवश्यक तथ्य, आंकड़े रिपोर्ट आदि की भी व्यवस्था करता है।

केन्द्र व राज्य सरकार के मध्य सम्पर्क कड़ी, staff एजेन्सी, क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाईयों के मध्य तालमेल कड़ी

13. 'प्रश्न काल' लोक प्रशासन पर नियंत्रण का प्रभावी साधन है।' स्पष्ट करें।
'Question Hour' is an effective means of control over public administration.' Explain.

~~विधायी नि~~ प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का सबसे प्रभावी उपकरण प्रश्नकाल ही है। यह प्रत्येक सत्र का पहला घण्टा होता है। इसमे संसद सदस्य / विधानसभा सदस्य कार्यपालिका (मंत्रिपरिषद) से विभिन्न विषयो से संबंध प्रश्न पूछते है। तथा मंत्रिगण उनका जवाब देते है। अर्ल एल्डन = "लोकतंत्र का सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण प्रश्न काल है।" सामान्यत: प्रश्नकाल के दौरान तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जाते है।

3½

i) तारांकित प्रश्न – इसका जवाब मंत्री द्वारा मौखिक रूप से दिया जाता है। तथा इसमे अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते है।

ii) अतारांकित – इसके जवाब लिखित मे दिये जाते है। अनुपूरक प्रश्न नहीं

iii) अल्प सूचना प्रश्न – 10 दिन की अल्प सूचना पर लोक महत्व के विषय पर प्रश्न।

अच्छा प्रयास लगातार मेहनत करते रहें Good

Samyak
An Institute For Civil Services

(18)
Comment

14. 'निंदा प्रस्ताव' और 'अविश्वास प्रस्ताव' में अंतर स्पष्ट करें।
Explain the difference between 'The motion of Censure' and 'No Confidence Motion'.

3½

निंदा प्रस्ताव	अविश्वास प्रस्ताव
→ इस प्रस्ताव को लाने हेतु कारण बताना आवश्यक है।	इस प्रस्ताव के लिये कारण बताना आवश्यक नहीं
→ यह सम्पूर्ण मंत्रिपरिषद या किसी एक मंत्री के खिलाफ भी लाया जा सकता है	→ यह सम्पूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध
→ इस प्रस्ताव के पारित होने पर सरकार की निंदा, त्यागपत्र नहीं	→ इसके पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है।
→ इस प्रस्ताव का उल्लेख संसदीय प्रक्रिया में नहीं है	→ इसका उल्लेख संसदीय प्रक्रिया नियमों में है
→ इस प्रस्ताव के बाद सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वह विश्वास मत द्वारा विश्वास सिद्ध करे	→ इस प्रस्ताव के पारित होने से सरकार को त्यागपत्र देना होता है अन्यथा राज्यपाल मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है।

15. लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण की विधियाँ/माध्यमों का उल्लेख कीजिए।
Mention the methods/means of parliamentary control over public finance.

लोकवित्त पर संसद मुख्यतया बजट के माध्यम से नियंत्रण करती है। बजट प्रस्ताव पर संसद सदस्य गहन विचार विमर्श के दौरान सरकार की अनुचित मांगों की निंदा व आलोचना करते हैं। तथा कटौती प्रस्ताव के द्वारा मांगों में कटौती करने का भी प्रयास करते हैं व अस्वीकृत भी करते हैं। संसद विभिन्न वित्तीय समितियों यथा- लोकलेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति व प्राक्कलन समिति द्वारा सरकारी खर्चों व लेखों की जांच करवाती है। CAG द्वारा भी लेखा परीक्षण होता है तथा इसकी रिपोर्ट संसद में रखी जाती है। जिस पर संसदीय समितियां विचार करती हैं।

इन समितियों को संक्षिप्त में समझाते भी

3

Comment

16. राज्य का मुख्य सचिव 'अवशिष्ट वसीयतदार' कहा जाता है- कथन की व्याख्या करें।
The Chief Secretary of the State is called 'Residuary Testament' - Explain the statement.

राज्य का मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का सर्वेसर्वा होता है तथा यह मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार के रूप मे कार्य करता है। इस रूप मे इस पद पर सत्ता व उत्तरदायित्वो का अत्यधिक केंद्रीकरण हुआ है। यह सभी विभागीय सचिवो के मध्य समन्वय के अतिरिक्त स्वयं कुछ विभागो जैसे सामान्य प्रशासनिक सुधार विभाग का प्रमुख होता है तथा वह सम्पूर्ण कार्य करता है जो किसी अन्य सचिव के अन्तर्गत नहीं आते। केंद्र सरकार, अन्य सरकारो व जनता व सरकार के मध्य संचार व संवाद का माध्यम है। आपदा आदि के समय सभी आपदा अधिकारियो का मार्गदर्शन व नेतृत्व करता है। इस पद की विस्तृत शक्तियो व भूमिकाओ के कारण ही इसे अवशिष्ट वसीयतदार कहा गया है।

3

संकट के समय [illegible] की भूमिका निभाता है

केन्द्र व राज्य सरकार के मध्य कड़ी के रूप मे कार्य करता है

Samyak
An Institute For Civil Services

(20)
Comment

Note : Answer the following questions in 100 words. Each question carries 10 marks.

नोट : निम्न प्रश्नों के उत्तर 100 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है।

1. 'राज्यपाल व मुख्यमंत्री के संबंधों में अक्सर तनाव के मुद्दे कौन-कौन से होते हैं ? राज्यपाल के पद से संबंधित सरकारिया आयोग की प्रमुख सिफारिशों का वर्णन कीजिए।

What are the issues of tension in the relationship between the Governor and the Chief Minister? Describe the major recommendations of Sarkaria Commission regarding the post of Governor.

राज्यपाल पद की स्थापना अनुच्छेद-1 के "राज्यों का संघ" उक्ति को सार्थक सिद्ध करने व राज्य के संवैधानिक प्रमुख के साथ केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर की गई। राज्यपाल पर दोहरे ताज के रूप में जिम्मेदारियाँ हैं यही दोहरा ताज मुख्यमंत्री व राज्यपाल के बीच तनावों के रूप में उभरा है। 1967 तक राज्य व केंद्र दोनों में कांग्रेस सरकार होने से कभी राजभवन के माध्यम से सम्पर्क की आवश्यकता नहीं पड़ी उसके बाद निम्न समस्याएं उत्पन्न होने लगी।

i) मुख्यमंत्री के चयन में :- संविधान के अनु. 164 में केवल इतना कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा लेकिन खंडित जनादेश की स्थिति में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं होने से राज्यपाल ने कई बार केंद्र के दबाव पर बड़े दल की जगह अन्य को सरकार बनाने हेतु आमंत्रित किया।

ii) राष्ट्रपति हेतु विधेयक आरक्षित करने में :- अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल ने राष्ट्रपति के लिये विधेयक आरक्षित करने भी पक्षपातपूर्ण रवैया।

iii) राष्ट्रपति शासन - सरकार को बहुमत सिद्ध करने का उपयुक्त समय नहीं देना व केंद्र से संवैधानिक आपात की अनुशंसा करना। आदि विवादों के लगातार उभरने से केंद्र द्वारा 1983 में सरकारिया आयोग व उसकी रिपोर्ट

i) राज्यपाल की नियुक्ति करते समय मुख्यमंत्री से सलाह करनी चाहिए

ii) उस व्यक्ति को राज्यपाल जो समाज में ख्यातिलब्ध, राज्य के बाहर का निवासी व राजनीतिक रूप से सक्रीय नहीं हो, स्थानीय राजनीति से दूर।

iii) राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित व खंडित जनादेश में मुख्यमंत्री चयन हेतु उचित पदानुक्रम भी दिया।

(5)

Comment: भूमिका सीमित करें। तनाव के मुद्दे लिखें। सरकारिया आयोग की सिफारिश बिंदुवार लिखें। प्रस्तुतीकरण सुधारें। उपरोक्त हेडिंग मोटे पेन से लिखें। लगा ज्यादा लिखने की बजाय स्पष्ट व साफ लिखें।

Comment

2. 'प्रशासन पर विधायी नियंत्रण सदैव अपर्याप्त रहेगा, अन्य प्रकार की नियंत्रण व्यवस्था इसकी पूरक होनी चाहिए।' विवेचना कीजिए।

'Legislative control over administration will always be insufficient, other forms of control should be supplemented by it.' Discuss.

प्रशासन पर नियंत्रण दो प्रकार से हो सकता है। आंतरिक (प्रशासनिक प्रबंधन) व बाहरी - (विधायी न्यायिक, कार्यपालिका व जनता)। इनमे विधायी नियंत्रण जो विभिन्न साधनो यथा - विधान निर्माण, बजट प्रक्रिया विभिन्न संसदीय गतिविधिया - प्रश्नकाल, शून्यकाल, काम रोको प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव और मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत के द्वारा सुनिश्चित होता है। लेकिन इसकी भी सीमाएँ है। जैसे - संसद का नियंत्रण सतत नही है। संसद सत्र के माध्यम से कार्य, सत्र का औसतकाल 70-80 दिन उसमे भी अधिकांश समय शोर-शराबे व स्थगन मे, विशाल संसदीय संगठन आदि इन कारणो से प्रशासन के निरंकुश व्यवहार को रोकने व नागरिक अधिकारो की रक्षा हेतु विधायी नियंत्रण के विकल्प भी पर्याप्त होने चाहिए। इसके पूरक के रूप मे निम्नांकित उपाय हो सकते है।

i) न्यायिक नियंत्रण - न्यायपालिका प्रशासनिक कार्यो व निर्णयो की वैधानिकता जांचती है। नागरिको के अधिकार उल्लंघन पर न्यायिक उपचार उपलब्ध कराती है। इसके अंतर्गत विभिन्न रिटें, जनहित याचिका आदि अन्य नियंत्रण उपाय है

ii) कार्यपालिका नियंत्रण - कार्यपालिका नियंत्रण से तात्पर्य है। राजनीतिक कार्यपालिका का प्रशासनिक कार्यपालिका पर नियंत्रण जो मंत्री उत्तरदायित्व सिद्धांत अर्थात लोकसेवको के कार्यो की जिम्मेदारी मंत्री द्वारा, कोड ऑफ कंडक्ट निर्माण आदि संनियंत्रण

iii) जनता द्वारा नियंत्रण - जनता RTI, एनजीओ, जन सुनवाई कानून 2012 सिटिजन चार्टर, मीडिया, जनप्रतिनिधियो से दबाव, आदि द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित कर सकती है।

उत्तर संरचना इस प्रकार लिखें - विधायी नियंत्रण - सीमाएं - अन्य पूरक नियंत्रण - निष्कर्ष

प्रस्तुतीकरण को और बेहतर लिखें

निष्कर्ष भी लिखें

सीमाएं - संसद का जटिल व बड़ा आकार, समय का अभाव, तकनीकी ज्ञान का अभाव, विधायिका पर कार्यपालिका का दबदबा

Comment

3. 'संसदीय समितियों ने लघु संसद का रूप धारण कर लिया है'- कथन को स्पष्ट करते हुए वित्तीय समितियों के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए।
Explaining the statement 'Parliamentary committees have assumed the form of mini parliament', mention the main functions of financial committees.

संसद अपनी संरचना के अनुसार अत्यंत विशाल व विस्तृत है। अतः यह अपने अधिकांश कार्य संसदीय समितियों के माध्यम से कार्य करती है। वर्तमान मे संसदीय समितियों ने लघु संसद का रूप धारण कर लिया है। जिसके कई कारक जिम्मेदार है जैसे - संसद का सतत रूप से सत्र मे नही रहना, संसदीय कार्यभार मे वृद्धि, समितियों की सामाजिक कुशलता के तहत कार्य करने की क्षमता आदि इसलिये विधेयको पर विस्तृत चर्चा, विशेषाधिकार हनन मामले, विभिन्न जांच कार्य जैसे संसदीय कार्यों को समितियों द्वारा बेहतर तरह से किया जाने लगा है।

वित्तिय समितियों के कार्य → मुख्यतः 4 वित्तिय समितिया है। जिनके कार्य निम्नांकित है।

i) लोक लेखा समिति :- CAG द्वारा सौपे गये प्रतिवेदनो की जांच करना। राष्ट्रपति द्वारा संसद मे रखी गयी विभिन्न आयोगो की रिपोर्ट की जांच। सरकार के खर्चों का लेखा जोखा, खर्च आवंटित क्षेत्र मे व प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ही किया गया है या नही आदि।

ii) प्राक्कलन समिति - यह बजट अनुमानो का विस्तृत अध्ययन करती है। तथा मितव्ययता अपनाने हेतु उपयुक्त सुझाव देती है। इस समिति के ही दो प्रकार है। प्राक्कलन क व ख जो अलग विषयो पर जांच करते है।

iii) सार्वजनिक उपक्रम समिति - यह समिति सार्वजनिक क्षेत्रो के उपक्रमो के वार्षिक वित्तिय विवरणो की जांच करती है। अगर इन उपक्रमो के संबंध मे CAG की कोई रिपोर्ट है। तो उसकी जांच आदि कार्य किये जाते है।

(5)

भूमिका सीमित लिखिए

संसदीय समितियों का गठन अनुच्छेद 118(1) के तहत

प्रस्तुतीकरण सुधार ताकि मार्किंग अच्छी हो

निष्कर्ष

वित्तीय समितियों के प्रशासन के पारदर्शिता जवाबदेहिता बढ़ती है

निष्कर्ष भी लिखे इनके आगे के सकारात्मक सुझाव दे

Comment

4. 'जिला प्रशासन के शीर्ष पर जिलाधिकारी महत्त्वपूर्ण पदाधिकारी है'- कथन के संदर्भ में जिलाधिकारी के बहुआयामी उत्तरदायित्व स्पष्ट कीजिए।
In the context of the statement 'The District Collector is an important officer at the top of the district administration', explain the multi-dimensional responsibilities of the District Magistrate.

जिला कलेक्टर जिला प्रशासन का प्रधान होता है। इस रूप में उसकी जिले में मुख्य कर्ता की जिम्मेदारी होती है। उसकी बहुआयामी भूमिका इस प्रकार है। —

4

(i) भूराजस्व अधिकारी के रूप में :- इस रूप में वह भु-अभिलेखो का रख-रखाव, आबादी के बसावट के प्रयोजन से भूमि अधिग्रहण, संयप अधिनियम को लागु करना, उपखण्ड अधिकारी, तहसिलदार आदि राजस्व अधिकारियों का निर्देशन व मार्गदर्शन, भुमिविवाद का निपटारा आदि कार्य

(ii) कानुन-व्यवस्था के रूप मे — जिले मे कानुन व्यवस्था बनाये रखना विशिष्ट परिस्थितिया उत्पन्न होने पर धारा 144 व कर्फ्यु लागु करना जिला आपराधिक रिपोर्ट तैयारकर सचिवालय भेजना, होटलो, शस्त्रो विस्फोटको आदि से संबध लाइसेंस जारि करना व निरस्त करना, कैदियो को पैरोल कारागारो का निरिक्षण, तथा व्यवस्था के सुचारु संचालन हेतु अन्य कार्य।

(iii) विकास के संबध — जिले मे विभिन्न विभागो की क्षेत्रीय इकाईयो के मध्य समन्वयन, तथा इस हेतु गठित समीतियों की अध्यक्षता। राज्य व केंद्र की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का जिले मे क्रियान्वयन

उपरोक्त के अतिरिक्त जनगणना अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकृति मुख्य आपुर्तिकर्ता, आपदा प्रंबधक, आदि भूमिकाएँ। जिलाधिकारी पद के अनुरूप इसकी परिभाषित से ज्यादा कई अपरिभाषित भुमिकाएँ है।

प्रमुख कार्य-
- प्रशासनिक अधिकारी
- आपदा प्रबंधन अधिकारी रूप मे
- जिला मजिस्ट्रेट के रूप मे
- प्रोटोकोल अधिकारी के रूप मे
- चुनाव अधिकारी रूप मे

डायग्राम का प्रयोग करते हुए उत्तर को प्रस्तुत करें

निष्कर्ष भी लिखिए

Comment

5. भ्रष्टाचार निवारण हेतु लोकायुक्त संस्था को अधिक प्रभावी बनाए जाने हेतु सुझाव दीजिए।
Give suggestions to make the institution of Lokayukta more effective for the prevention of corruption.

राजस्थान मे 3 फरवरी 1973 को लोकायुक्त संस्था का गठन भ्रष्टाचार निवारण की प्रधान संस्था के रूप मे किया गया लेकिन विगत दशको की इसकी उपलब्धियो को देखे तो इसने अभी तक अपनी उपस्थिति मात्र ही दर्ज करवायी है तथा इसकी उपलब्धिया ढाक के तीन पात साबित हुई है। इसके कम प्रभावी रूप होने मे संवैधानिक प्रावधानो की अस्पष्टता के अतिरिक्त राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव भी एक कारण है इसके सुदृढीकरण हेतु निम्नांकित सुझाव है।

i) ~~इसके~~ वाद भी मुख्यमंत्री सहित कई विभागो को इसके क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है इन विभागो को इसके अन्तर्गत लाना चाहिए

ii) लोकायुक्त का स्वयं का कोई अन्वेषण तंत्र नहीं है। इसको जांच के लिए राज्य के अन्वेषण तंत्र पर निर्भर रहना पड़ता है जिनका पर्याप्त सहयोग नहीं अतः आयोग को स्वतंत्र अन्वेषण तंत्र, व संसाधन उपलब्ध कराये जाये

iii) आम नागरिक को आयोग की कार्यप्रणाली आदि की पर्याप्त जानकारि नही है। अतः स्थानीय तरीको (नुक्कड़ नाटक, संवादशैली) द्वारा आयोग का पर्याप्त प्रचार प्रसार होना चाहिए।

iv) लोक अधिकारी द्वारा जांच आदि मे सहयोग नहीं करने पर आयोग को उसको दण्डित करने अधिकार प्रदान करना।

v) लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम ~~xxxx~~ 2013 द्वारा लोकायुक्त के लिये सामाजिक प्रावधानो की व्याख्या नहीं। इसमे संशोधन द्वारा उपयुक्त प्रावधान होने चाहिए

निष्कर्ष - ?

5

लोकायुक्त के उद्देश्य - लोकसेवको के विरुद्ध भ्रष्टाचार व पद के दुरुपयोग संबंधी शिकायतो पर स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच करना
- वित्तीय सक्षमता जरूरी
- नियुक्ति मे पारदर्शिता जरूरी
- भ्रष्टाचार के मामलो के नोडल एजेन्सी बनाया जाए

6. 'मानवाधिकार' को परिभाषित करते हुए मानवाधिकार संरक्षण में राज्य मानवाधिकार आयोग की भूमिका को स्पष्ट कीजिए।
Defining 'Human Rights', explain the role of State Human Rights Commission in the protection of human rights.

मानवाधिकार – वे अधिकार जो किसी व्यक्ति को मानव होने के नाते प्रदान किये जाने चाहिए तथा इसके जीवन जीने हेतु अनिवार्य हों जैसे - स्वतंत्रता, समानता, जीवन अधिकार आदि।

राज्य मानवाधिकार आयोग – जनवरी 1999 में मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 की धारा 21(1) के तहत गठित, 2000 में कार्य प्रारम्भ, बहुसदस्यीय निकाय (1 अध्यक्ष 3 सदस्य 2019 से)

मानवाधिकार संरक्षण में भूमिका –

i) कोई अधिकारी मानवाधिकार उल्लंघन करे या उल्लंघन की शिकायत लेने में मना करे तो न्यायालय के आदेश या स्वतः संज्ञान से आयोग इसकी जाँच करता है।

ii) जेलों, कारागारों आदि का निरीक्षण करना व मानवाधिकार संरक्षण के संबंध में उचित सुझाव। न्यायालय में चल रहे मानवाधिकार मामले में हस्तक्षेप करना (न्यायालय की पूर्वानुमति से)

iii) मानवाधिकार से संबंध संवैधानिक प्रावधानों का मूल्यांकन व सुझाव

iv) मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्य कर रहे NGO आदि को प्रोत्साहन

v) मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध व अनुसंधान को बढ़ाना

vi) जनता को मानवाधिकारों से जागरूक करना।

vii) मानवाधिकार उल्लंघन करने वाले अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु सरकार से अनुशंसा करना।

निष्कर्ष – ?

भूमिका – मानवाधिकारों से संबंधित कारकों का पालन करना – जनजागरूकता फैलाना –

मुख्य हेडिंग को अन्डरलाइन करें

3

Samyak
An Institute For Civil Services

(26)

Comment

7. 'मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का किंग-पिन हैं' - कथन को स्पष्ट करते हुए मुख्य सचिव की मंत्रिमंडलीय सचिव के रूप में भूमिका समझाइए।

Explain the role of Chief Secretary as Cabinet Secretary by explaining the statement 'Chief Secretary is the King-Pin of State Administration'.

मुख्य सचिव राज्य मे प्रशासन पदानुक्रम मे सर्वोच्च है। इस रूप मे वह समस्त राज्य प्रशासन का नियन्त्रण निर्देशन व समन्वय करता है। वह राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है तथा सभी सचिवो का मुखिया है। प्रशासन के विभिन्न विभागो के मध्य समन्वय का कार्य इसी के द्वारा सम्पन्न होता। वरिष्ठ प्रशासको की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानान्तरण आदि के कार्य भी करता है। प्रशासनिक मुखिया के तौर पर वह विभिन्न जिला कलैक्टरो सम्भागीय आयुक्तो आदि के सम्मेलनो की अध्यक्षता करता है। तथा मुख्यमंत्री को राज्य प्रशासन से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करता है।

मंत्रिमण्डलीय सचिव के रूप मे भूमिका :

मंत्रिमण्डलीय सचिव होने के नाते वह कैबिनेट की बैठको का निर्धारण व नियमन बैठक के लिये समुचित व्यवस्था स्वयं भी बैठक मे भाग लेता है व मंत्रिमण्डलीय निर्णयो को नोट करता है। एवम् लिये गये निर्णयो से संबंधित विभागो को अवगत करवाता है। बैठक के दौरान आवश्यक तथ्य, आंकड़े व रिपोर्ट को सचिवालय के माध्यम से उपलब्ध करवाता है।

उपरोक्त भूमिका के अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्य आपदा प्रबंधक, सचिवो व मुख्यमंत्री को जोड़ने वाली कड़ी, मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के मध्य समन्वय व संवाद आदि का कार्य करता है।

प्रश्न को अच्छे से समझा व प्रस्तुतीकरण उत्कृष्ट किया लेकिन लेखन सुलेख लिखें

6

विज्ञप्ति निविदा

Comment

1. प्राचार्य, राजकीय स्नात्तकोत्तर महाविद्यालय बाँसवाड़ा की ओर से प्रायोगिक परीक्षाएँ स्थगन की विज्ञप्ति जारी कीजिए। (अंक - 10)

0

2. प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय अजमेर की ओर से महाविद्यालय परिसर में सभागार निर्माण हेतु निविदा का प्रारूप तैयार कीजिए। (अंक - 10)